पशु-क्रूरता निवारण (पशु-गृह पंजीयन) नियम, 1978

पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 उपधारा (2) वाक्य (आई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करते हुए केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम बनाती हैः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रभावशीलता :

(1) ये नियम पशु-क्रूरता निवारण (पशु-गृह-पंजीयन) नियम, 1978 कहलाएंगे।

(2) ये नियम उन शहरों और कस्बों पर लागू होंगे जिनकी आबादी एक लाख से उपर है।

(3) ये नियम उनके राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो तो

(क) 'पशु' से तात्पर्य है - सांड, भैंस, गायें, बैल और घोड़े जिनमें इनके बछड़े सम्मिलित है।

(ख) 'प्रमाणपत्र' से तात्पर्य है - पंजीयन प्रमाणपत्र

(ग) 'पंजीयन-प्राधिकारी' से तात्पर्य है - ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के पशु-चिकित्सा विभाग के हो या स्वायत-शासन के ऐसे अधिकारी हों, जिन्हे राज्य सरकार इस प्रयोजन से सामान्य या विशेष आदेश से निर्दिष्ट करे।

3. पशु-गृह पंजीयन

ऐसे पशु-गृह का प्रत्येक स्वामी या प्रभारी, जहाँ पशु-गृह में लाभार्जन के लिए पांच या उससे अधिक पशु रखे जाते हो, हर उस दशा में, यदि पशु-गृह विद्यमान हो तो, इन नियमों के प्रभावी होने के तीन माह के अन्दर और किसी भी अन्य दशा में, नियमों के प्रभावी होने के बाद निर्मित पशु-गृहों का पंजीयन करवाने के लिए पंजीयन-प्राधिकारी को आवेदनपत्र देगा।

4. पंजीयन-आवेदनपत्र

पंजीयन के प्रत्येक आवेदनपत्र में इसकी पूरी जानकारी होगी कि किस प्रकार के औश्र कितने पशु रखे जाते है या रखे जाएंगे, ये पशु किस उद्देश्य से रखे जाते है या रखे जायेंगे, फर्श की केसी व्यवस्था है या की जाएगी, फर्श कितना लंबी-चौड़ा है या होगा, हवा-प्रकाश की व्यवस्था, भोजन-पानी का प्रदाय, छूतरोग-निरोध, पानी का बहाव, गोबर आदि का व्ययन, चाहरीदीवारी एवं अन्य ऐसी सभी जानकारी जो पंजीयन प्राधिकारी द्वारा विशेषतः मांगी जाए, दी जाएगी।

5. पंजीयन प्रमाणपत्र

(1) यदि पंजीयन प्राधिकारी, प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाए कि पशुओं का कल्याण सुनिश्चित किया गया है और उन्हें किसी अनावश्यक परेशानी से नहीं गुजरना होगा, तो वह पशु-गृह का पंजीयन करेगा और आवेदक को उस हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) जारी करने की तिथि से तीन तक प्रत्येक प्रमाणपत्र को रहेगा, परन्तु विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के तीन माह पूर्व पशु-गुरू स्वामी या प्रभारी के आवदेन पर उसका नवीनीकरण समय समय पर एक बार में तीन वर्षों के लिएहोता रहेगा।

6. पशु–गृहों का निरीक्षण

इन नियमों में पंजीयत प्रत्येक पशुगृह सभी उचित समयो में, स्थानीय शासन के पशु–चिकित्सक या जन–स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश जो इस हेतु जारी किए जाए उसमें निर्दिष्ट अधिकृत प्राधिकारी द्वारा, निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।

7. पंजीयन का निरस्त होना

इन नियमों द्वारा वांछित पकार से यदि पशु–गृह व्यवस्थित नहीं रखे जाते हो तो पंजीयन प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को सूचना, जिसमें सूचना के आधार दिए हों, देकर और उसे सुनवाई का उचित अवसर देकर पंजीयन–प्रमाणपत्र निरस्त कर सकेगा।

8. अपील

इन नियमों के अन्तर्गत पंजीयन–इंकारी या निरस्ती के आदेश के खिलाफ अपील ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

9. अधिनियम की धारा 12 का प्रदर्शन

यदि किसी पशु–गृह में दुधारू–पशु रखे जाते हों तो पशु–स्वामी पशुगृह के पास या पशु गृह में स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर पशु–क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 (जिसे यहां यथावत दिया है) को स्थानीय क्षेत्र में समझी जाने वाली भाषा में प्रदर्शित करेगा।

> "(12) यदि कोई व्यक्ति अपने अधिपत्य या नियंत्रणवाली किसी गाय या अन्य दुधारू पशु पर फूका या डूम–डेव की या अन्य ऐसी कोई शल्य क्रिया करता है या करने की अनुमति देता है तो उसे एक हजार रूपए तक का अर्थदंड या दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा और जिस पशु पर ऐसी शल्य क्रिया की गई हो, वह सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगा।"

10. बचाव

यदि किसी क्षेत्र में, जिनमें ये नियम लागू हों, किसी स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी विधि के अन्तर्गत कोई नियम, विनियम या विधान बनाया गया हो जिसमें पशु रखने हेतु पशु–गृहों के पंजीयन संबंधी प्रावधान हों तो जिस सीमा तक वे पशु या उनके किसी प्रकार के रखने संबंधी प्रावधान हों उस सीमा तक वे प्रभावी नहीं होंगे और ये नियम प्रभावशील होंगे।

(भारत गजट के भाग खख (दो) विभाग 3 उपविभाग खख में अधिसूचित। भारत शासन के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14–20/76–एलडी ख दिनांक 30 नवम्बर 1978 के संदर्भ में)